**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 2058**

**02.12.2016 को दिया जाने वाला उत्‍तर**

**घाटे की भरपाई के लिए यात्री किराया तथा माल भाड़ा में बढ़ोतरी**

**2058. श्री कपिल सिब्‍बल:**

**क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

1. क्‍या ‘सर्ज़ प्राइसिंग’ रेल यात्रियों के लिए भारी मुसीबत बन चुकी है, यदि नहीं, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;
2. ये कितनी ट्रेनों और सीट/बर्थ पर लागू है तथा ऊंचे किराये की वजह से ऐसी कितनी सीट/बर्थ खाली रह जाती हैं;
3. क्‍या आमदनी बढ़ाने की तमाम कोशिशों के बावजूद रेलवे का घाटा बेहिसाब बढ़ रहा है; और
4. क्‍या यह सच है कि घाटे की भरपाई के लिए रेलवे पर यात्री किराया और माल-भाड़ा बढ़ाने का भारी दबाव है?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*

घाटे की भरपाई के लिए यात्री किराया तथा माल भाड़े में बढ़ोतरी के संबंध में दिनांक 02.12.2016 को राज्‍य सभा में श्री कपिल सिब्‍बल द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2058 के भाग (क) से (घ) तक के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क) : जी नहीं। रेल यात्री किरायों में सर्ज प्राइसिंग लागू नहीं होती है क्‍योंकि सर्ज प्राइसिंग में व्‍यस्‍त मांग अवधि के दौरान किराए में वृद्धि होती है। भारतीय रेल पर पूरे वर्ष किराया समान रहता है। बहरहाल, राजधानी, दूरांतो और शताब्‍दी प्रकार की गाड़ि‍यों में फ्लेक्‍सी प्राइसिंग को शुरू किया गया है।

(ख) : उन गाड़ि‍यों की संख्‍या और सीटों/बर्थों जिन पर फ्लेक्‍सी किराया योजना लागू की गई है और चार्टिंग के समय खाली रहने वाली सीटों/बर्थों का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है, इसमें गाड़ि‍यों में टीटीई द्वारा आबंटित की गई बर्थें शामिल नही है क्‍योंकि इनका डाटा नहीं रखा जाता है:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| राजधानी, दूरांतो और शताब्‍दी गाड़ि‍यों की कुल संख्‍या | 09.09.2016 से 15.11.2016 की अवधि के लिए सीटों/बर्थों की कुल संख्‍या | सीटों/बर्थों की संख्‍या, जो 09.09.2016 से 15.11.2016 से खाली पड़ी है |
| 148 | 5687421 | 895462 |

(ग) : 2013-14, 2014-15 और 2015-16 वर्षों के दौरान विकास निधि, पूंजी निधि और ऋण सेवा निधि के विनियोजन से पूर्व सृजित अधिशेष राशि क्रमश: 3740.40 करोड़ रुपए, 7664.94 करोड़ रुपए और 10505.977 करोड़ रुपए है। रेलवे अपनी दर सूची संबंधी नीतियों के कारण हानियां वहन कर रही है, जो पारंपरिक रूप से यात्री किरायों में वृद्धि और मालभाड़ा दरों में आवधिक वृद्धि में संतुलन रखने के संबंध में बाधा है। पारंपरिक रूप से, यात्री और अन्‍य कोचिंग सेवाओं में होने वाली हानियों की माल यातायात खंड में सृजित राजस्‍व से 'क्रास-सब्सिडिजेशन' की प्रक्रिया द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है।

(घ) : यात्री किरायों और माल भाड़ा संरचना के यौक्तिकरण से संबंधित विभिन्‍न विकल्‍पों का मूल्‍यांकन करना सतत् प्रक्रिया है।

\*\*\*\*\*